रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012020-215341
CG-DL-E-11012020-215341

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2020/पौष 19, 1941
No. 115] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2020/PAUSHA 19, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2020

का.आ. 125(अ).—पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण की सुरक्षा और सरंक्षण तथा तटीय किनारों और समुद्र जल में प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं उसे कम करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय रुप से मान्यताप्राप्त "ब्ल्यू फ्लैग" प्रमाणन के प्रयोजन के लिए समुद्र तटों की पहचान करने का विनिश्चय किया है ;

कठोर "ब्ल्यू फ्लैग" प्रमाणन मानक के लिए उत्तरदायी और संधारणीय सुविधाएं तथा अवसंरचनात्मक विकास, सफाई, सुरक्षा सेवाएं आदि आवश्यक हैं;

और केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (सरंक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के अधीन उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की आवश्यकता को जनहित में अभिमुक्त करती है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश सं. का. आ. 2502(अ), तारीख 12 जुलाई, 2019 द्वारा प्रकाशित आदेश के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप

किया गया है, ऐसे परिलक्षित समुद्र तटों में ब्ल्यू फ्लैग प्रमाणन के प्रयोजन के लिए एच टी एल से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी बनाए रखने के अधीन द्वीप सहित समुद्र तटीय विनियम क्षेत्र (सी आर जेड) में निम्नलिखित क्रियाकलापों और सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी, की घोषणी करती है:-

(क) वहनीय शौचालय ब्लाक, कपड़े बदलने वाले कमरे, शावर पैनल;

(ख) ग्रे वाटर ट्रीटमैंट प्लांट;

(ग) ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्लांट;

(घ) सौर शक्ति प्लांट;

(ङ) शोधित पेय जल सुविधा;

(च) समुद्र तट तक पहुंच मार्ग;

(छ) दृश्य भूमि प्रकाश;

(ज) बैठने की बेंच और सिट-आउट छाते;

(झ) आउटडोर खेल/स्वस्थता उपकरण;

(ञ) सी सी टी वी निगरानी और नियंत्रण कक्ष;

(ट) प्राथमिक चिकित्सा स्टेशन;

(ठ) अमानती सामान घर;

(ड) वाच टावर सुरक्षा और तटीय सुरक्षा उपकरण;

(ढ) समुद्र तट अभिन्यास, पर्यावरण सूचना बोर्ड और अन्य निर्देशक;

(ण) बाड़ा लगाना, वानस्पतिक अधिमानता;

(त) पार्किंग सुविधा;

(थ) प्रवेश द्वार, पर्यटक सुविधा केन्द्र ; और

(द) ब्ल्यू फ्लैग प्रमाणन की अपेक्षाओं के अनुसार, अन्य संबद्ध सुविधाए या अवसरंचना ।

टिप्पण: ऊपर वर्णित क्रियाकलाप और सुविधाएं क्रमशः सी आर जेड अधिसूचना, द्वीप सुरक्षा क्षेत्र अधिसूचना और समुद्र तटीय द्वीप विनियम क्षेत्र अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व समाशोधन से छूट प्राप्त होंगी ।

[फा. सं. 19-27/2015-आईए-III (पी टी)]

अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 9th January, 2020

S.O. 125(E).—Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, with a view to protect and conserve the environment and control and abate pollution in coastal beaches and sea waters, has decided to identify beaches for the purpose of internationally recognised "Blue Flag" Certification;

Whereas the stringent "Blue Flag" Certification Standards call for responsible and sustainable amenities and infrastructure development, cleanliness, safety and security services etc.;

IndiaCode

And whereas, the Central Government, under sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, in public interest dispenses with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in supersession of the Order of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published vide number S.O. 2502 (E), dated the 12th July, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby declares that for the purpose of Blue Flag Certification in such identified beaches, the following activities and facilities shall be permitted in the Coastal Regulation Zone (CRZ), including Islands, subject to maintaining a minimum distance of 10 meters from HTL:-

(a) Portable toilet blocks, change rooms and shower panels;

(b) Grey water treatment plant;

(c) Solid waste management plant;

(d) Solar power plant;

(e) Purified drinking water facility;

(f) Beach access pathways;

(g) Landscaping lighting;

(h) Seating benches and sit-out umbrellas;

(i) Outdoor play / fitness equipment;

(j) CCTV surveillance and control room;

(k) First aid station;

(l) Cloak room facility;

(m) Safety watch towers and beach safety equipments;

(n) Beach layout, environment information boards and other signages;

(o) Fencing, preferably vegetative;

(p) Parking facilities;

(q) Entry gate, tourist facilitation centre; and

(r) Other associated facilities or infrastructure, as per requirements of Blue Flag Certification.

Note: the activities and facilities mentioned above shall be exempt from prior clearance under the provisions of CRZ Notification, Island Protection Zone Notification and Island Coastal Regulation Zone Notifications respectively.

[F. No. 19-27/2015-IA-III(Pt.)]

ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.11 15:01:44 +05'30'